(16)

न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1479-एक/2001 - विरूद्ध आदेश दिनांक 31.5.2001 - पारित व्दारा - अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना - प्रकरण क्रमांक 228/1988-89 अपील

गोपाल पुत्र श्रीकिशन दास बैरागी
निवासी नगरपालिका के सामने
श्योपुर कलॉ , जिला श्योपुर कलॉ म0प्र0 ---- आवेदक

विरूद्ध

1- मंदिर श्री बालमुकुन्द स्थित कस्वा श्योपुर
व्दारा किशन बाबू पुत्र नारायणदास बैरागी
निवासी श्योपुर कलॉ , जिला श्योपुर कलॉ

2- शंकरदास (फोत) पुत्र रामचन्द्र दास बैरागी
वारिस
अ- श्रीमती कमलावाई पत्नि शंकरदास
ब- मांगीलाल स- रामस्वरूप
द- भरतलाल पुत्रगण स्व. शंकरदास

3- हरदेवा (फोत) पुत्र पुन्या गूजर
वारिस
1- श्रीमती नटीवाई पत्नि हरदेवा
2- शंकरलाल 3- रामकल्याण
4- प्रभू 5- रमेश पुत्रगण हरदेवा
6- कु.रूकमणी 7- कु.पार्वती 8- कु. गोरा
9- कु. सावो पुत्रियॉ हरदेवा

4- रामकुमार पुत्र धन्नालाल गूजर
सभी निवासी ग्राम माखनाखेड़ी
तहसील एंव जिला श्योपुर कलॉ ---अनावेदकगण

आगे पृ0उ0--2

(आवेदक के अभिभाषक श्री मुकेश बेलापुरकर)
(अनावेदक क्र-1 के अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी)
(शेष अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित - एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 02 -02-2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 228/1988-89 अपील में पारित आदेश दिनांक 31.5.2001 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि मंदिर श्री बालमुकुन्द जी कस्वा श्योपुर के नाम भूमि सर्वे क्रमांक 237 रकबा 71 बीघा ग्राम ज्वाड़ तहसील श्योपुर कलॉ में स्थित है जिसके प्रबन्धक कलेक्टर मुरैना वर्तमान में श्योपुर कलॉ हैं। इस मंदिर की 71 बीघा भूमि में से 26 वीघा 1 विसवा भूमि पर मृतक शॅकरदास (वर्तमान में उसके उत्तराधिकारीगण) ने तथा 10 वीघा 1 विसवा भूमि पर मृतक हरदेवा (वर्तमान में उसके उत्तराधिकारीगण) ने एंव शेष रकबे पर मृतक हरदेवा (वर्तमान में उसके उत्तराधिकारीगण) , अनावेदक क्रमांक 4 एंव श्रीकिशन दास (आवेदक के पिता) ने अतिक्रमण कर लिया। मंदिर की पुजारी महिला मथुरी वाई पत्नि स्वर्गीय विहारीदास बैरागी ने तहसीलदार श्योपुर कलॉ को मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर अतिक्रामकों को निष्काषित करने एंव मंदिर की भूमि का कब्जा पुजारी को दिलाने का निवेदन किया, जिस पर से तहसीलदार श्योपुर ने प्रकरण क्रमांक 2355/1982-83 अ 68 पंजीबद्ध किया तथा सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 28-4-88

पारित करके अतिक्रमणकर्ताओं पर रूपये 1500-1500 अर्थदण्ड अधिरोपित कर बेदखली के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर कलॉ के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 25/1987-88 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-5-88 से अपील अस्वीकार की गई। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 228/1988-89 अपील में पारित आदेश दिनांक 31.5.2001 से अपील अस्वीकार की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर आवेदक एंव अनावेदक क्र-1 के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। शेष अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ विद्वान अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवाद है कि भूमि सर्वे क्रमांक 237 रकबा 71 बीघा स्थित ग्राम ज्वाड़ तहसील श्योपुर कलॉ मंदिर श्री बालमुकुन्द जी कस्वा श्योपुर के नाम के स्वामित्व की भूमि है जिसके प्रबंधक तत्समय कलेक्टर मुरैना वर्तमान जिला श्योपुर कलॉ के कलेक्टर हैं एंव भूमि देवस्थानी माफी/औकाफ विभाग की होकर शासकीय है। जैसाकि आवेदक के अभिभाषक ने बताया कि मंदिर की भूमि पर संहिता की धारा 248 के अंतर्गत प्रकरण नहीं चलाया जा सकता। चूॅकि भूमि मंदिर देवस्थानी होकर शासकीय है तथा शासकीय भूमि पर से अतिक्रमण हटाये जाने हेतु संहिता की धारा 248 में प्रावधान है जिसके कारण आवेदक के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्क स्वीकार योग्य नहीं है।

5/ आवेदक के अभिभाषक ने बताया कि तहसीलदार ने आवेदकगण को बचाव प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया है । तहसील न्यायालय के प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार श्योपुर कलॉ ने अतिक्रामकों को बचाव प्रस्तुत करने हेतु विधिवत् सूचना पत्र जारी किये हैं एंव अतिक्रमणकर्ताओं ने तहसील न्यायालय में उपस्थित रहकर लेखी दस्तावेजों से एंव मौखिक साक्ष्य से बचाव प्रस्तुत किया है। बचाव में अतिक्रमणकर्ताओं ने मंदिर की भूमि पुजारी व्दारा पटटे पर दिये जाने का सहारा लिया है किन्तु उनके व्दारा तहसीलदार के समक्ष न तो पटटे की प्रति पेश की है एंव न ही लेखी/मौखिक साक्ष्य से पटटा दिया जाना प्रमाणित कर सके हैं। ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि आवेदकगण को तहसीलदार ने बचाव का पर्याप्त अवसर नहीं दिया।

6/ तहसीलदार के आदेश दिनांक 28-4-1988 के अवलोकन से पाया गया कि तहसीलदार ने मंदिर की भूमि सर्वे क्रमांक 237 रकबा 71 बीघा ग्राम ज्वाड़ पर अतिक्रमण के सम्बन्ध में प्रत्येक दृष्टिकोण से विस्तृत विवेचना उपरांत अतिक्रमण होना पाये जाने से Speaking order बोलता हुआ आदेश पारित किया है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर कलॉ ने प्रकरण क्रमांक 25/1987-88 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-5-88 से एंव अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना ने प्रकरण क्रमांक 228/1988-89 अपील में पारित आदेश दिनांक 31.5.2001 में तहसीलदार के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है। वैसे भी तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों के अवलोकन पर उनके व्दारा निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 228/1988-89 अपील में पारित आदेश दिनांक 31.5.2001 विधिवत् पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर